राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पैनपुर

उनवान : महेन्द्र वगैरा v/s सरकार

मुकदमा नं. 1/93 तारीख रजू : 07.8.15

निर्णय

28.6.17

महेन्द्र के

अ नि

सेवाराम

द नि

नारायण

28.06.17

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88.89 RTAct का पेश किया। वादीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है कि हाल आराजी ख.न. 300 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 327 रकबा 0.65 है. वाके ग्राम पैनपुर तह. जिला अलवर में स्थित है। वर्णित आराजी मुतनाजा पर वादी सं. 1 लगा. 4 की माता व वादी सं. 5 की सास व 6 लगायत 8 की दादी मूर्ति जोजे दीपचंद काश्तिज होकर निरन्तर व बदस्तूर अपने जीवन काल में काश्त करती चली आ रही थी तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण निरन्तर व बदस्तूर काश्तिज होकर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी काश्तकार मूर्ति जोजे दीपचन्द थी जिसके नाम का अकंन शादिक बन्दोबस्त संम्वत 2020 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा था तथा इसके उपरान्त खजान्व

ख हुक्म	2 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली जँमाबन्दी सम्वत 2029 में मूर्ति जोजे दीपचन्द के स्थान पर मुरली जोजे दीपचंद नट दर्ज कर दिया गया था तथा कालान्तर में राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले समस्त राजस्व रिकॉर्ड में भी इसी कदर गलत अंकन किया जाता रहा है, जिस गलत नाम को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित मे 'आवश्यक है। तदनुसार उसकी विरासत इन्तकाल वादीगण के पक्ष मे स्वीकृत किया जावे।

आज पञ्चायती कोर्ट पैनपुर मे पेश हुई वादीगण उपस्थित। तहसीलदार श्री भं॰ अलवर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता सं॰ 136 पर ख॰न॰ 300/0·04, 327/0·05 मुरली जोजे दीपचन्द जॉम नट सा॰ देह॰ खातेदार काबे ग्राम पैनपुर है॰ दर्ज है। सलंग पञ्चायती के पास मुक मे॰ 21·5·82 मे ~~मुरली जोजे~~ मूरती जोजे दीपचंद सा॰ पैनपुर एवम जाँच मू॰ अ॰ नि॰ अकबरपुर व पटवारी ह॰ पैनपुर मजमे आम मे दीपचन्द की पत्नी का नाम मुरती है। जांच मजमे आम मे मुरती के बजाय मूरती इंतकाल किया जाना उचित है।

इस सम्बन्ध मे॰ वादीगण ने एक शपथ पत्र 50 रु॰ स्टाम्प (नोन ज्यूडिशल) पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि हमारी मातामी मूर्ति पत्नी दीपचंद के नाम है। अतएव हमारी माता का नाम मूर्ति के स्थान पर मुरली लिख दिया जो गलत है सही नाम मूर्ति है। इसके अलावा इस गांव मे मूर्ति नाम की और कोई महिला नही है। उक्त नाम को लेकर भविष्य मे कोई वाद विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी होगी।

हमने पञ्चायती मे उपलब्ध दस्तावेजात का आवश्यक अवलोकन किया. जिससे पाया कि 11·5·82 को॰ जारी की गई जिसके खाता नं॰ 24 मे॰ मूरती जोजे दीपचंद

ख हुक्म	3 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मे मुरती जोजे दीपचंद कौम नट सा० देह खातेदार दर्ज किया गया है जबकि मूर्ति देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दि० 15.3.2002 का पेश किया गया है। मजमे आम से पटवारी ह०। गिरदावर ह०। सरपंच ग्राम पंचायत बरनपुरा एवं ग्रामवासियान श्रीमती पुत्र कल्लान नट, लंगडा पुत्र कल्लान नट, रामसजन पुत्र मई चंद नट, बसन्त पुत्र बाड़िया नट सा० पैंतपुर के साथ अन्य भी उप० आए सभी ने बताया कि दीपचन्द नट की पत्नी का नाम मूरती था। मूरती की मृत्यु हो चुकी है। जमाबन्दी में नाम मुरली जोजे दीपचंद गलत है। सभी ने एक स्वर में दीपचन्द की पत्नी का सही नाम मूरती बताया।

अतः समस्त दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी ह०। गिरदावर ह० सरपंच, ग्राम वासियान के मौका पेशी, तहसीलदार की रिपोर्ट, एवं पास बुक के पुराने रिकॉर्ड अनुसार मुरली जोजे दीपचंद के स्थान पर मूरती जोजे दीपचंद नट दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम पैंतपुर तह० जिला जयपुर के हाल रकबरा नम्बर 300 रकबा 0.04, 327 रकबा 0.65 मे मुरली जोजे दीपचन्द कौम नट का नाम कलम जन कर मूरती जोजे दीपचन्द कौम नट सा० देह खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। उसके पश्चात जोच कर उसकी विरासतका इन्तकाल वादीगण के पक्ष मे स्वीकृत किया जावे। डिक्री जारी हो।

पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट पैंतपुर मे निर्णय सुने आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दफ्तरी

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर